

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 301/15

संस्थापन दिनांक:-10/06/15

फाईलिंग नं. 233504002952015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

देवाजी पिता पूरन पवार,
उम्र 35 वर्ष, निवासी खापाखतेड़ा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 15.02.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 21.05.2015 को समय करीब 10:30 बजे ग्राम खापाखतेड़ा स्कूल के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 21.05.2015 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को ग्राम भ्रमण के दौरान खापाखतेड़ा में सुखदेव और निर्मला ने बताया कि अभियुक्त उनके परिवार को जान से खत्म करने का बोलकर हाथ में लोहे की तलवार लेकर घूम रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ, सूचनाकर्ता एवं रहागीर साक्षीगण को लेकर प्रायमरी स्कूल तरफ गया जहां स्कूल के सामने अभियुक्त उसे हाथ में एक लोहे की धारदार तलवार लेकर अवैध रूप से अपने पास रखे मिला। अभियुक्त द्वारा तलवार रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की धारदार तलवार जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 281/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण

होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.05.2015 को समय करीब 10:30 बजे ग्राम खापाखतेड़ा स्कूल के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 21.05.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए ग्राम खापाखतेड़ा में भ्रमण के दौरान सुखदेव एवं निर्मला द्वारा सूचना दिये जाने पर वह हमराह स्टाफ, सूचनाकर्ता एवं रहागीर साक्षीगण के साथ प्रायमरी स्कूल के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार तलवार लेकर अवैध रूप से अपने पास रखे मिला। अभियुक्त द्वारा हथियार रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 281/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही लोहे की छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 प्रकरण के जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी सुखदेव (अ.सा.-4) एवं रामनाथ (अ.सा.-5) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी सुखदेव ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी निर्मला (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। निर्मला (अ.सा.-3), सुखदेव (अ.सा.-4) एवं रामनाथ (अ.सा.-5) से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष

में कोई तथ्य साक्षीगण के कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी निर्मला (अ.सा.-3), सुखदेव (अ.सा.-4) एवं रामनाथ (अ.सा.-5) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर सोनू तोमर (अ.सा.-1) एवं बिसनसिंह (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण सोनू तोमर (अ.सा.-1) एवं बिसनसिंह (अ.सा.-2) की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाना तथा अभियुक्त से लोहे की तलवार जप्त करना एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा रवानगी एवं वापसी का रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं किया गया है और न ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) पर नमूना सील अंकित की गयी है। प्रकरण में साक्षी निर्मला (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त देवाजी उसका पति है और घटना दिनांक को वह शराब पीकर उससे विवाद कर रहा था। विवाद के संबंध में उसने रिपोर्ट लेख करायी थी। जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष मौके पर सीलबंद किया गया हो एवं मौके पर उसकी नापजोप की गयी हो। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही मात्र 10 मिनट में पूरी कर ली गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियां जप्ती की कार्यवाही में संदेह उत्पन्न करती है। तब ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो घटना के समय अभियुक्त से जप्त किया गया था।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.05.2015 को समय करीब 10:30 बजे ग्राम खापाखतेड़ा स्कूल के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार जिसकी कुल लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त देवाजी को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 आरोपी को आज दिनांक को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली में अभिरक्षा में पेश किया गया है। अतः अभियुक्त को रिहा किया जावे।

12 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)